XXX-Part.—26

रूप क्रमांक ४
(देखिये नियम ७)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पन्जीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक 10042

यह प्रमाणित किया जाता है कि पन्जीयत समिति आदिवासी तकनीकी शिक्षा मण्डल स्थित है हुजूर तहसील में भोपाल, जिला में अपना नाम परिवर्तित कर लिया है और अब वह मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद भोपाल सोसायटी रजिस्ट्रीकृत नाम से मध्यप्रदेश समिति-पन्जीयन अधिनियम, ~~१९५९~~ 1973 (~~सन् १९६० का क्रमांक १~~) क्रमांक 44 सन् 1973 की ~~धारा ११ की उप-धारा (२)~~ के अधीन पन्जीयित की गई है।

दिनांक तेईस माह सितम्बर सन् १९९१

पंजीयक समितियाँ मध्य प्रदेश

R D NAGPURE
DEPUTY REGISTRAR,
FIRMS AND SOCIETIES (M.P.)

शासन प्रादेशिक मुद्रणालय, राजनांदगांव

नोट – संशोधित विधान को आदेश क्र. 23/9.4.90 अनुसार ...

मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद,
{म०प्र०शासन, आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण
विभाग का प्रतिष्ठान}

रजिस्ट्रेशन नं. 15712
रजिस्ट्रेशन की दिनांक 24/3/81
23/2/82
12/6/09
2445/08
28/6/08

1– नाम, पता व कार्य क्षेत्र

1•1 इस परिषद का नाम "म०प्र० रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद" रहेगा व इसका मुख्यालय भोपाल में होगा ।

1•2 इस परिषद का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश रहेगा ।

1•3 यह परिषद उस दिनांक से प्रभावशाली होगी, जिस दिनांक से इसे पंजीयक फर्म एण्ड सोसायटी द्वारा पंजीकृत कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ।

2– परिभाषा

2•1 परिषद से तात्पर्य मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद, मध्यप्रदेश से होगा, जो मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत पंजीकृत होगी ।

REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL

2•2 शासन से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से होगा ।

2•3 विभाग से तात्पर्य आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण से होगा ।

2•4 प्रबन्ध संचालक से तात्पर्य म०प्र० रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा नियुक्त किए गए प्रबंध संचालक से होगा ।

2•5 वित्तीय वर्ष से तात्पर्य 1 अप्रैल से 31 मार्च की समयावधि से होगा ।

2•6 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से तात्पर्य समाज के ऐसे वर्ग से होगा जो भारतीय संविधान के अधिकरण-341 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति घोषित किये गये हों ।

3– उद्देश्य

3•1 परिषद का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शासन के निर्देशानुसार अन्य कोई जाति या वर्ग के सदस्यों को रोजगार के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से सभी उपयुक्त कार्य करना है, जिसमें निम्न बिन्दु सम्मिलित हैं :–

1/ कुशल एवं अर्द्ध कुशल मजदूरों का प्रशिक्षण ।

2/ सभी स्तर की औपचारिक तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था, जिसमें कुशल मजदूर, तकनीशियन आदि भी सम्मिलित हों ।

3/ प्रशिक्षित एवं गैर प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण जिससे कि वे अन्य रोजगार अपना सकें ।

4/ तकनीकी कौशल के विकास के लिए व्यापक आयोजन व उसके आवश्यक क्रियान्वयन की व्यवस्था करना ।

5/ शासकीय विभागों एवं शासन के अधीनस्थ संस्थाओं में कार्यरत अधिकारि एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण ।

6/ उक्त सभी प्रयोजनों के लिए सुविधाएं प्रदान करना, छात्रवृत्तियां, उपहार, पुरस्कार आदि देना ।

3•2 उपरोक्त सूची उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चल अथवा अचल सम्पत्ति का क्रय-विक्रय व हस्तांतरण करना ।

3•3 आदिवासी क्षेत्रों में तकनीकी कौशल के विकास के लिए वे अन्य समस्त कार्य करना जो वांछनीय, आवश्यक अथवा सहायक हों ।

3•4 व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना बनाना व जिन क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता हो, वहां इसके प्रबंध करना ।

3•5 ऐसे विभिन्न संस्थाओं की जो आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक, तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण का कार्य कर रही हों,

1/ अपने को संबद्ध करना और उनके प्रशिक्षण के स्तर को तय करना अथवा उसके लिए समय-समय पर उनका निरीक्षण करना ।

2/ आवश्यकतानुसार उन्हें ऐसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से संबद्ध करना जो तत्संबंधी परीक्षा लेने का कार्य करती हों ।

3•6 स्थानीय संस्थाओं में तकनीकी प्रशिक्षण का प्रबंध करना ।

3•7 ऐसे समस्त कार्य करना, जो सामान्य सभा द्वारा परिषद के हित में या अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य कोई पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु आवश्यक समझा जाए ।

4– परिषद का गठन व सदस्यता
=====================

परिषद का गठन निम्नानुसार होगा व उसके निम्न सदस्य होंगे :-

.....निरंतर.....3/-...

4.1 सचिव, आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग - अध्यक्ष

4.2 आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश - उपाध्यक्ष

4.3 आयुक्त, उद्योग

4.4 संचालक, तकनीकी शिक्षा

4.5 संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण

4.6 संचालक, आदिवासी शिक्षा

4.7 आयुक्त, हाथकरघा

4.8 संचालक, हरिजन विकास

4.9 प्रबंध संचालक, म०प्र० अन्त्यावसायी सहकारी विकास निगम, भोपाल

4.10 प्रबंध संचालक, खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद

4.11 प्रबंध संचालक, म०प्र० रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद

4.12 मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग के सचिव अथवा उनके द्वारा नामांकित अपर सचिव/संयुक्त सचिव,
संचालक, खनिज साधन.

5- सामान्य सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य

नियम-4, में वर्णित सभी सदस्य परिषद के सामान्य सभा के सदस्य होंगे। सामान्य सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य निम्नानुसार होंगे :-

5.1 परिषद का प्रगति प्रतिवेदन स्वीकार करना।

5.2 परिषद की नीतियों एवं कार्यों की प्रगति पर विचार करना तथा उन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सुझाव देना।

5.3 परिषद के लेखों की जांच हेतु अंकेक्षकों की नियुक्ति करना।

5.4 अंकेक्षित वार्षिक लेखों एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन पर विचार करना एवं उन्हें स्वीकार करना।

5.5 परिषद का बजट स्वीकार करना।

5.6 अन्य ऐसे प्रकरणों पर विचार करना जो कार्यकारिणी समिति द्वारा विचाराधीन प्रस्तुत किए जाएं।

6- सामान्य सभा की बैठक

6.1 सामान्य सभा की बैठक कार्यकारिणी समिति द्वारा निश्चित तिथि, समय व स्थान पर बुलाई जाएगी।

.....निरंतर /-.....

6•2 सामान्य सभा की वर्ष में कम-से-कम एक बैठक बुलाई जाना आवश्यक होगा। आवश्यकतानुसार कार्यकारिणी समिति, सामान्य सभा की विशेष बैठक भी बुला सकती है।

6•3 सामान्य सभा की बैठक हेतु कोरम 5 सदस्यों का होगा। कोरम के अभाव में सामान्य सभा की बैठक उसी दिनांक एवं उसी स्थान पर निश्चित समय से आधे घण्टे के बाद हो सकती है, किन्तु उसमें कार्य सूची के अतिरिक्त अन्य विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6•4 सामान्य सभा की बैठक के लिए कम-से-कम 15 दिवस पूर्व सूचना भेजना आवश्यक होगा एवं अन्य विशेष बैठकों के लिए, जो कार्यकारिणी के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर बुलाई जा सकेगी, 7 दिन की सूचना भेजना आवश्यक होगा।

6•5 सामान्य सभा के लिए सभी निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। समान मत प्राप्त होने पर अध्यक्ष को अतिरिक्त मत देने का अधिकार होगा।

7- कार्यकारिणी समिति
===============

परिषद की गतिविधियाँ, संचालन, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण हेतु कार्यकारिणी समिति रहेगी। जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगे :-

7•1 सचिव, आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, - अध्यक्ष

7•2 आयुक्त, आदिवासी विकास, - उपाध्यक्ष

7•3 प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी सहकारी विकास निगम, भोपाल

7•4 महा निदेशक, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी

7•5 संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण

7•6 संचालक, हरिजन विकास

7•7 प्रबंध संचालक, म०प्र० रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद

7•8 मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग के सचिव अथवा उनके द्वारा नामांकित अपर सचिव/संयुक्त सचिव।

8- कार्यकारिणी समिति की बैठक
=====================

8•1 कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार समय-समय पर समिति की बैठक आमंत्रित की जाएगी, किन्तु 3 माह में कम-से-कम एक बैठक होना आवश्यक है।

8•2 कार्यकारिणी समिति का कोरम 4 सदस्यों का होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी, जो आधे घंटे के बाद उसी स्थान एवं उसी दिनांक को हो सकेगी, किन्तु उसमें कार्यसूची के अतिरिक्त अन्य विषयों पर विचार नहीं किया जा सकेगा । ऐसी स्थिति में बैठक में कम-से-कम 3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी

8•3 कार्यकारिणी समिति के सभी निर्णय बहुमत से होंगे तथा समान मत आने की अवस्था में अध्यक्ष को अतिरिक्त मत देने का अधिकार होगा

8•4 कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना 7 दिवस पूर्व एवं विशेष व्यवस्था में 3 दिवस पूर्व देना आवश्यक होगी ।

9- बैठकों की संचालन व्यवस्था

9•1 सामान्य सभा अथवा कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष करेंगे । उनकी अनुपस्थिति में आयुक्त, आदिवासी विकास, सामान्य सभा अथवा कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे । इन दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में से चुने गए व्यक्ति उक्त बैठकों की अध्यक्षता करेंगे ।

9•2 सामान्य सभा अथवा कार्यकारिणी समिति के सचिव का कार्य परिषद के प्रबन्ध संचालक करेंगे ।

10- कार्यवाही विवरण

10•1 परिषद की सामान्य सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठकों की कार्यवाही को लिपिबद्ध कर उसे समस्त उपस्थित सदस्यों को प्रसारित किया जाएगा ।

10•2 यदि 7 दिवस के अन्दर कोई सदस्य आपत्ति प्रस्तुत नहीं करता, तो उसे स्वीकृत मानकर कार्यवाही पुस्तिका में लिखा जाएगा । परिषद के अध्यक्ष उस पर हस्ताक्षर करेंगे ।

10•3 यदि कोई आपत्ति प्राप्त हो, तो अध्यक्ष उस पर अपना निर्णय देंगे जो सभी सदस्यों को मान्य होगा ।

......निरंतर...6/-....

1- कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य

म0प्र0 रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद के संचालन, [illegible] एवं नियंत्रण के सभी अधिकार कार्यकारिणी समिति में निहित होंगे ।

12- पदाधिकारी

12.1 (अ) अध्यक्ष :- म0प्र0 आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव, परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे ।

12.1 (आ) उपाध्यक्ष :- आयुक्त, आदिवासी विकास, म0प्र0शासन, परिषद के पदेन उपाध्यक्ष होंगे ।

12.2 प्रबंध संचालक :- परिषद के प्रबंध संचालक की नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन द्वारा की जाएगी ।

13- परिषद के कोष एवं सम्पत्ति

परिषद के समस्त कोष, संपत्ति व परिषद के समस्त कार्यकलापों की व्यवस्था परिषद के संचालक मण्डल में निहित होगी ।

अध्यक्ष के अधिकार

14.1 परिषद के कामकाज एवं उनके अधिकारियों के काम पर सामान्य देख-रेख एवं नियंत्रण रखना ।

14.2 परिषद के सामान्य सभा व कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना और उनका नियमन और नियंत्रण करना तथा आपत्तियों पर अपनी व्यवस्था देना ।

14.3 किसी भी व्यवस्था संबंधी प्रश्न एवं नियमों के प्रभाव एवं अर्थों के संबंध में व्याख्या करना । ऐसी व्यवस्था अंतिम रूप से मान्य होगी ।

14.4 ऐसे कार्य करना जो इन्हें इस विधान अथवा सामान्य सभा के प्रस्ताव द्वारा सौंपे गए हों ।

14.5 परिषद की आवश्यकतानुसार कोई विशेष पद स्वीकृत करना तथा उन स्वीकृत पदों पर तदर्थ नियुक्ति करना । ऐसे पदों की अवधि 6 माह से अधिक न हो ।

14.6 ऐसे कार्यों की स्वीकृति देना जिसके लिए सामान्यतया सामान्य सभा अथवा कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति की आवश्यकता हो, किन्तु विशेष कारणों से ऐसी स्वीकृति की तुरन्त आवश्यकता हो । ऐसी

कार्यवाही सामान्य सभा अथवा कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत की जायेगी ।

14.7 परिषद के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को कार्यकारिणी समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार नियुक्त करना, निलम्बित करना, सेवामुक्त करना, बर्खास्त करना अथवा अन्य किसी प्रकार की शास्तियों से दण्डित करना ।

14.8 परिषद के उपाध्यक्ष को अध्यक्ष द्वारा किसी विशिष्ठ प्रयोजन हेतु तथा अवधि के लिये ऐसे अधिकार प्रत्यायोजित किये जायेंगे जिनका प्रत्यायोजन वे आवश्यक समझें । अध्यक्ष की किसी प्रकार से एक माह से अधिक अवधि तक अनुपस्थिति की दशा में उपाध्यक्ष परिषद के कार्य के हित में अध्यक्ष के अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे ।

15- प्रबंध संचालक के अधिकार एवं कर्तव्य

15.1 प्रबंध संचालक परिषद के दिन प्रतिदिन के कार्यों के मुख्य कार्यपालन प्राधिकारी होंगे ।

15.2 प्रबंध संचालक के नाम से ही परिषद की ओर से परिषद के विरुद्ध मुकद्दमे दायर किये जायेंगे । परिषद के सभी अनुबंध पत्र एवं अन्य कानूनी कागजातों को उनके द्वारा लिया जायेगा ।

15.3 परिषद के कारोबार से संबंधित सभी मामलों में मार्गदर्शन देना एवं देखरेख करना ।

15.4 परिषद के प्रशासन पर साधारण नियंत्रण एवं देखरेख करना ।

15.5 समय समय पर स्वीकृत किये गये पदों पर परिषद के सभी वेतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति उन नियमों के अंतर्गत करना जो कार्यकारिणी समिति द्वारा इस संबंध में बनाये जायें ।

15.6 परिषद के समस्त तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को परिषद द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार नियुक्त करना, निलंबित करना, सेवामुक्त करना, बर्खास्त करना अथवा अन्य किसी प्रकार की शास्ति से दण्डित करना ।

15.7 कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली प्रतिभूति, यदि कोई हो, की राशि

और स्वरूप निश्चित करना ।

15·8 ऐसे अधिकारों को प्रयोग में लाना जो कि सामान्य सभा, कार्यकारिणी समिति और अध्यक्ष द्वारा सौंपे जायें ।

15·9 सम्मेलनों तथा सभाओं के लिये जब भी आवश्यक हो, व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत करना ।

15·10 परिषद की ओर से कानूनी कार्यवाही प्रारंभ करना, उसका संचालन करना और परिषद के विरुद्ध की गई कानूनी कार्यवाहियों में परिषद की ओर से बचत/डिफेन्स करना तथा ऐसी कानूनी कार्यवाहियों के लिये किसी भी दिवानी, फौजदारी, राजस्व न्यायालयों में या प्राधिकारी के सामने सभी आवश्यक कार्य करना और कानूनी सलाहका व अभिभाषकों को ऐसे निबन्धों पर नियुक्त करना जो प्रबंध संचालक उ समझें ।

15·11· परिषद के कामकाज से संबंधित तथा उसके अधिकारियों के पक्ष और विपक्ष के कर्ज, दावे, विवाद या अन्य कार्यवाहियों को जैसा कार्यका समिति निश्चित करें, छोड़ देना, समाप्त करना या पंच निर्णय को सौंपना ।

15·12 बैंकों, इकरारनामों, सहयोग के लिये शासन से तथा दीगर लोगों से सभी प्रकार की बातचीत व कार्यवाही करना ।

15·13 परिषद के नाम से परिषद की ओर से उपरोक्त फण्ड में निर्दिष्ट किसी भी मामले में संबंधित विलेख, इकरारनामा और दस्तावेज लिखना और सभी आवश्यक कार्यवाही करना ।

15·14 सामान्य सभा द्वारा अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत शर्तों पर चल तथा अचल सम्पत्ति लेने के लिये अथवा उसे फरोख्त करने के लिये परिषद के नाम से और परिषद की ओर से विलेख लिखना तथा सभी काम की बातें करना ।

15·15 ऋण तथा जमा के रूप में रकम को लेने के लिये परिषद के नाम से व परिषद कीओर से प्रोमेशनरी नोट, विलेख तथा दस्तावेज लिखना तथा उन पर हस्ताक्षर करना ।

15·16 शासकीय प्रतिभूतियों और अन्य स्वत्वाधिकार के दस्तावेजों पर, जैसा

सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. 10762
रजिस्ट्रेशन की दिनांक 29/3/81

कि सामान्य सभा अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा मंजूर किया गया हो, पृष्ठांकित करना, उन्हें बेचना, हस्तांतरित करना, गिरवी रखना या किसी अन्य प्रकार से पेत्र व्यवहार करना ।

15.17 परिषद के नाम से बैंकों में खाते खोलना और आवश्यक कागजादों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और चेक जारी करना या अपने हस्ताक्षर से ऐसे खातों में अन्य प्रकार के लेनदेन करना और ऐसे व्यवहार के लिये परिषद के अधिकारियों को अधिकृत करना ।

15.18 परिषद के दावों/क्लेम्स और मांगों को छोड़ना या उनमें अन्य प्रकार के छूट स्वीकृत करना ।

15.19 परिषद के भवन, माल सामान तथा अन्य सम्पत्ति का बीमा ऐसे निबंधकों पर करवाना जो कि वह उचित समझें ।

15.20 परिषद की चल अथवा अचल सम्पत्ति की मरम्मत या उनमें सुधार करने की मंजूरी देना ।

15.21 सामान्य सभा अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत अधिकारों के अंतर्गत खर्च करना ।

15.22 अध्यक्ष द्वारा सामान्य सभा अथवा कार्यकारिणी समिति, साधारण सभा की बैठकें बुलाई जाने पर उनकी ओर से सूचना जारी करना ।

15.23 सामान्य सभा के सामने लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, लाभ-हानि पत्रक, लेन-देन पत्रक और निरीक्षण टिप्पणियां रखना और उनका पालन सुनिश्चित करना ।

15.24 सामान्य सभा के सामने बजट पेश करना ।

15.25 ऐसे वित्तीय लेनदेन और बंधनों के मामले में, जिन्हें परिषद के लिये आवश्यक हो, अपनी अनुशंसा कार्यकारिणी समिति के सामने रखना ।

15.26 परिषद के कर्ज, दायित्व और मांगों का भुगतान करना और उनका समाधान करना ।

15.27 परिषद के कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना और उन पर देखरेख और नियंत्रण करना । अपना कोई एक या अधिक अधिकार, परिषद के अन्य किसी भी अधिकारी को सौंपना ।

16642
20/3/81
21/3/83

15·28 साधारणतया अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी [illegible] की प्रत्याशा में ऐसे सब कार्य तथा खर्च करना जो परिषद के हित में अथवा परिषद के हित संरक्षण के लिये किसी भी काम के लिये आवश्यक हो ।

16- <u>लेखा वर्ष एवं लेखा प्रारूप</u>

परिषद का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा एवं लेखा ऐसे प्रारूप में रखा जायेगा जो कि शासन द्वारा अनुमोदित हो ।

17- परिषद को किसी भी वित्तीय वर्ष में जो हानि होगी, उसकी प्रतिपूर्ति मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी ।

18- इस विधान के नियमों में किसी प्रकार के संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन या निरसन करने के लिये यह आवश्यक होगा कि सामान्य सभा के कुल सदस्यों में से आधे से अधिक सदस्यों द्वारा तत्संबंध में प्रस्ताव हो और उसे राज्य शासन द्वारा अनुमोदित किया गया हो । परन्तु राज्य शासन द्वारा नियमों के संशोधन, परिवर्तन अथवा निरसन किये जाने के संबंध में यदि संस्था के प्रबंध संचालक को कोई निर्देश दिये जायें तो उसके कार्यान्वयन के लिये सामान्य सभा का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा और शासन के आदेशानुसार नियमों में संशोधन, परिवर्धन तथा निरसन पंजीकृत कराने के लिये प्रबंध संचालक द्वारा सीधे कार्यवाही की जायेगी ।

19- परिषद पंजीकृत संस्था के रूप में कार्य करेगी एवं उसकी समस्त चल अथवा अचल सम्पत्ति पर मध्य प्रदेश शासन का अधिकार होगा ।

20· ऐसे सभी विषयों का निर्णय, जिनका इन नियमों में विशेष रूप से कोई उल्लेख नहीं है, परिषद अथवा मध्य प्रदेश शासन के नियमों, व्यवस्था अथवा स्वीकृति के अनुसार किया जायेगा ।

21- शासन द्वारा समय समय पर परिषद को जो निर्देश दिये जायें उनका परिषद द्वारा पालन किया जायेगा ।

22- परिषद की किसी भी समिति या अधिकारी का कोई कार्य केवल इसीलिये अवैध नहीं समझा जायेगा कि ऐसी समिति या अधिकारी की नियुक्ति अथवा सर्वसाधारण अथवा कोई निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्राधिकरण में कोई त्रुटि अथवा लुप्त थी, या कोई स्थान रिक्त था ।

23- विघटन

परिषद का विघटन मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर ही किया जा सकेगा । विघटन की कार्यवाही मध्य प्रदेश सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी ।

Asstt. Registrar
Firm's & Societies Bhopal